Uttarakhand Power Corporation, Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Regd. Office: Victoria Cross Vijeta Gaber Singh Bhawan, Kanwali Road, Dehadun-248001
EPBX No: 0135- 2763672-73-74-75 Extn. 118
CIN: U40109UR2001SGC025867
Email Id: df@upcl.org Website: www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन,
कॉवली रोड़, देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135- 2763672-73-74-75 Extn. 118

No. 30 /D(F)/ – 8 **Date: 05/03/2018**

To,
Secretary,
Uttarakhand Electricity Regulatory Commission,
Vidyut Niyamak Bhawan,
Near ISBT, PO-Majra, Dehradun

Sub. : UPCL's Petition for True-up for FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2017-18 and Determination of Annual Revenue Requirement for FY 2018-19.

Sir,

In reference to your office letter no. UERC/6/TF-429/17-18/2018/1832 dated 27.02.2018, the details w.r.t. status of Implementation of 7th Pay Commission are as under:

1. 7th Pay Commission implemented in UPCL vide OM no. 14740-Dir.(H.R)/UPCL/7th Pay Comm. dated 29.12.2017 (copy enclosed).
2. **Payment of Arrears made in FY 2017-18**:
   a) M/o December 2017 paid in January 2018 : Rs.1,13,68,178/-
   b) M/o January 2017 paid in February 2018 : Rs.2,73,50,511/-
   c) M/o February 2017 paid in March 2018 : Being calculated.

It is just to mention that Pay for the month of February 2018 to be paid in March 2018 is being prepared by various units of UPCL. Due to calculation of Income Tax for FY 2017-18 on receipt of Income Tax Memo from employees, the actual freezing of Pay Roll for the month shall be completed by third week of this month and therefore the Actual figures pertaining to payment of arrears of 7th Pay Commission in FY 2017-18 shall be available only after freezing of Pay Roll and therefore the final data for payment of Arrear in March 2018 as well as balance arrears to be paid in FY 2018-19 shall be provided by the end of March 2018.

Encl.: As above

Yours sincerely,

(L.M. Verma)
Director (Finance)

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून
Diary No. 1873
Date... 07/03/18
UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, DEHRADUN

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan
Kanwali Road,Dehradun-248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, देहरादून -- 248001
दूरभाष : 2763672-75, फैक्स 91-135-2769771

संख्या।5750-नि0(मा0सं0)/उपाकालि/7वां वे0आ0, दिनांक 29 दिसम्बर,2017

कार्यालय ज्ञापन

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, दिनांक 01-01-2016 को निगम की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत नियमित कार्मिकों (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नियमित कार्मिकों सहित) तथा उसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रकिया विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक 13536-नि0(मा0सं0)/उपाकालि/7वां वे0आ0,दिनांक 28-11-2017 के प्रस्तर-2 में प्राविधानित था कि "सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01-01-2017 से नकद देय होगा तथा दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक अवशेष वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।"

उक्त के परिपेक्ष्य में, सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप निगम कार्मिकों को दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक की अवधि के देय वेतन/भत्तों की बकाया राशि का,शासनादेश संख्या 202/45/XXVII (7)30(7)/2016,दिनांक 17-10-2017, सपठित शासनादेश संख्या 274/XXVII(7)30(7)/2016,दिनांक 13नवम्बर,2017 के अनुरूप, निम्न प्रकिया के तहत के भुगतान किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1- दिनांक 01-01-2016 से 30-6-2016 तक की अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान चालू वर्ष 2017-18 में तथा 01-07-2016 से 31-12-2016 तक की अवधि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि आयकर कटौती करने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक के जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी, जो कार्मिक द्वारा 1 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।

3- ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को 12 प्रतिशत धनराशि कटौती के पश्चात शेष धनराशि में से आयकर की कटौती करते हुए एरियर का नकद भुगतान किया जायेगा।

4- प्रथमतः समस्त आहरण-वितरण अधिकारी अपने अधिष्ठानान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे व सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करेंगे। यदि कहीं नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण किया गया हो तो नियमानुसार उसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे।

5- बिन्दु संख्या-4 में अंकित निर्देशानुरूप कार्यवाही कर लिए जाने के उपरान्त आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिकों का एरियर बिल तैयार किया जाएगा और अनिवार्यतः यह प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न किया जाएगा कि "संबंधित कार्मिक के छठे/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है और वह सभी सही हैं।"

6-यदि किसी प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी को छठे/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण में त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो नियमानुसार सही वेतन निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

कमशः पृष्ठ -- 02 :-

7— यदि किसी प्रकरण में वसूली की धनराशि आगणित एरियर से अधिक हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 81(3) अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

8— इस अवधि में सम्बन्धित उप मुख्य लेखाधिकारी सम्बन्धित इकाईयों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी टैस्ट चैकिंग सुनिश्चित करेंगे।

9— दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं अथवा होंगे, को अवशेष वेतन /भत्तों का सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त इस वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जायेगा।

10— पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त हुए कार्मिकों के प्रकरण में आयकर कटौती करते हुए सम्पूर्ण भुगतान नकद रूप में किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में चूंकि पुनर्योजित कार्मिक का वेतन एवं पेंशन दोनों ही पुनरीक्षित हुयी होंगी, अतः आगणित वेतन एरियर में पुनरीक्षित पेंशन/पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई रिकवरी की स्थिति बनती है तो वह नियमानुसार कर ली जाय।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 14740 —नि0(मा0सं0)/उपाकालि/7वां वे0आ0,तद्दिनांक, 29 दिसम्बर,2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1- निजी सचिव,सचिव(ऊर्जा) व अध्यक्ष,उ0पा0का0लि0,सचिवालय भवन,सुभाष मार्ग,देहरादून।
2- सीनियर एग्जीक्यूटिव सेकेटरी,प्रबन्ध निदेशक,उ.पा.का.लि.,वि.का.वि.ग.सिं.ऊ0भ0 देहरादून।
3- निदेशक(परिचालन/परियोजना/वित्त/मा0सं0)उ.पा.का.लि.,वि.का.वि.ग.सिं.ऊ.भ.देहरादून।
4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर—1 एंव स्तर—2) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
5- समस्त महाप्रबन्धक (वित्त),उ0पा0का0लि0,वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन,देहरादून।
6- महाप्रबन्धक(विधिक/क0स0)उ0पा0का0लि0, वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन,देहरादून।
7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8- लोक सूचनाधिकारी(मा0सं0),उ0पा0का0लि0,वि0का0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन,देहरादून।
9- अधिशासी अभियन्ता(आई0टी0), उ0पा0का0लि0,वि0का0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन,देहरादून।
10- कट फाइल/कार्यालय ज्ञापन पंजिका ।

[पी0सी0ध्यानी] 29/12/17
निदेशक(मा0सं0)